जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति | दिनांक 30.10.2023

थाना कांधला

थाना कांधला पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 30.10.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 22.09.2023 को वादी श्री तेजपाल पुत्र जगवीर निवासी ग्राम भारसी थाना कांधला जनपद शामली के भाई जगत सिंह के साथ गाँव के ही सुमित, युद्धिष्ठिर पुत्रगण नवाब द्वारा एक राय होकर गाली-गलौच, मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना कांधला पर तहरीर दाखिल की थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा घायल को ईलाज हेतु सीएचसी कांधला लेकर गये जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषिक कर दिया।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

सुमित पुत्र नवाब सिंह निवासी ग्राम भारसी थाना काधला जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्तः-

मु0अ0सं0-467/2023 धारा 304 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.थानाध्यक्ष श्री समयपाल अत्री थाना कांधला जनपद शामली।

2.उ0नि0 श्री सुधीर कुमार थाना कांधला जनपद शामली।

3.है0का0 सुधीर गिरी थाना कांधला जनपद शामली।

4.का0 संतोष कुमार थाना कांधला जनपद शामली।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के चलते आबकारी अधिनियम के 02 अलग-अलग मामलों में अभियुक्त को माननीय न्यायालय कैराना द्वारा 2000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया

वर्ष 2017 में अभियुक्त प्रवेश पुत्र महिपाल निवासी ग्राम पेलखा थाना गढीपुख्ता जनपद शामली के विरुद्ध मु0अ0सं0 257/2017 व 268/2017 धारा 60 आबकारी अधिनियम में थाना गढीपुख्ता पर पंजीकृत किये गये थे। जिसमें अभियुक्त के कब्जे से अवैध शराब बरामद हुई थी। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए शामली पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 30.10.2023 को माननीय न्यायालय कैराना द्वारा अभियुक्त प्रवेश उपरोक्त को धारा 60 आबकारी अधिनियम में 2000/- हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 04 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तः-

प्रवेश पुत्र महिपाल निवासी ग्राम पेलखा थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के चलते दो अलग-अलग मामलों में 02 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय कैराना द्वारा सुनाई कारावास की सजा एवं अर्थदंड से दंडित भी किया गयाः-

1. वर्ष 2023 में अभियुक्त सूरज पुत्र ओमप्रकाश निवासी मौहल्ला आर्यपुरी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के विरूद्ध मु 0अ0सं0 340/2023 धारा 379,411 भादवि में थाना कोतवाली शामली पर पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए शामली पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया था। **इसी क्रम में दिनांक 30.10.2023 को माननीय न्यायालय CJM कैराना द्वारा सूरज उपरोक्त को धारा 379, 411 भादवि में 03-03 माह व 15-15 दिवस के कारावास की सजा व 1500-1500 रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।**

2. वर्ष 2016 में अभियुक्त इसरार उर्फ ड़ाक्टर पुत्र अख्तर निवासी ग्राम खुरगान थाना कैराना जनपद शामली के विरूद्ध मु 0अ0सं0 260/23 धारा 224 भादवि में थाना कैराना पर पंजीकृत किया गया था। **इसी क्रम में दिनांक 30.10.2023 को माननीय न्यायालय CJM कैराना द्वारा इसरार उपरोक्त को धारा 224 भादवि में 02 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है।**

नाम व पता अभियुक्तगणः-

1.सूरज पुत्र ओमप्रकाश निवासी मौहल्ला आर्यपुरी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.इसरार उर्फ ड़ाक्टर पुत्र अख्तर निवासी ग्राम खुरगान थाना कैराना जनपद शामली

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI